## परिशिष्ट

[**देखिए** पैरा 14(9)]

### *स्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार

1. इसका संबंध निश्चित विषय से न हो।
2. इसका संबंध इतने अविलम्बनीय विषय से नहीं हो कि उस दिन की कार्यवाही में बाधा डाली जाए।
3. इसका संबंध पर्याप्त लोक-महत्व के विषय से न हो।
4. इसका संबंध हाल में घटित ऐसे विषय से नहीं हो जो अचानक उठ खड़ा हुआ हो परन्तु किसी चले आ रहे विषय से हो।
5. यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। इस विषय को उठाने के लिए अन्य अवसरों का उपयोग किया जा सकता है।
6. इसमें एक से अधिक विषय उठाए गए हों।
7. इसकी सूचना समय पर, अर्थात् प्रातः 10.00 बजे तक नहीं दी गई हो।
8. इसका संबंध ऐसे विषय से हो, जिस पर निकट भविष्य में वाद-विवाद होने की संभावना हो, जिस पर चर्चा पहले ही निर्धारित की जा चुकी हो।
9. जिस विषय को उठाये जाने का विचार हो, वह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों के अन्तर्गत आता हो।
10. मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव विचाराधीन हो।
11. इस विषय को प्रथम अवसर पर ही उठाया जाना चाहिए था।
12. जिस विषय को उठाये जाने का विचार हो, वह मुख्यतया अपुष्ट प्रेस रिपोर्टों पर आधारित हो।
13. इसका सम्बन्ध ऐसे विषय से हो, जो न्यायाधीन हो।
14. स्थगन प्रस्ताव केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

---

*उल्लिखित आधार उदाहरणमात्र हैं और सम्पूर्ण नहीं।

15. इसका सम्बन्ध कानून और व्यवस्था के किसी मामले से हो, जो कि एक राज्य विषय है।

16. इसका संबंध दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी राज्य सरकार द्वारा सेना की सहायता मांगने से हो, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी नहीं है।

17. यह किसी राज्य विषय के संबंध में हो।

18. केन्द्रीय सरकार का कोई उत्तरदायित्व निहित न हो।

19. इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया हो।

20. इसमें ऐसे विषय पर पुनः चर्चा उठाने का प्रयत्न किया गया है, जिस पर चालू सत्र में पहले ही चर्चा हो चुकी है।

21. इसमें ऐसा प्रश्न उठाया गया हो, जो संविधान/नियमों के अन्तर्गत केवल एक पृथक मूल प्रस्ताव द्वारा उठाया जा सकता है।

22. स्थगन प्रस्ताव के द्वारा नीति संबंधी व्यापक प्रश्नों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

23. स्थगन प्रस्ताव के द्वारा किसी विदेशी सरकार के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती।

24. संविधान/नियमों के उपबंधों की व्याख्या किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकती।

25. इसमें ऐसा विषय उठाया गया हो जिसके लिए विधान बनाने की आवश्यकता पड़े।

26. व्यक्तियों या लोगों के किसी निकाय द्वारा शुरू किया गया अनशन स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता।

27. स्थगन प्रस्ताव द्वारा सेवा संबंधी शिकायतें नहीं उठायी जा सकतीं।

28. विधि की सामान्य प्रक्रिया के अधीन की गई गिरफ्तारी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकती।

29. वह स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है, जिसमें की गई शिकायतों का निराकरण विद्यमान विधि के अधीन किया जा सकता है।

30. इसका संबंध दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक विषय से हो।

31. वह विषय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, वित्त विधेयक या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठाया जा सकता हो।

32. यह किसी व्यक्तिगत मामले के संबंध में हो।

33. यह किसी महत्वहीन या साधारण विषय के संबंध में हो।

34. यह किसी स्वायत्त निगम/निकाय के क्रियाकलापों के संबंध में हो।

35. ऐसे विषयों पर कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया जा सकता जिनमें किसी मंत्री ने किसी विधि द्वारा उसे प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया है।

36. जब मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन संधि के दायित्वों को पूरा करते हैं तब कोई स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

37. सामान्य स्वरूप के औद्योगिक विवाद, जैसे तालाबन्दियां और हड़तालें, स्थगन प्रस्ताव के लिए उचित विषय नहीं हैं।

38. प्रत्याशित तालाबंदी या हड़ताल की धमकी को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता।

39. अध्यक्ष के विनिर्णय स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकते।

40. कानून के उचित प्रशासन में अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकती।

41. दिन-प्रतिदिन की नीति किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकती।

42. संसद के किसी अधिनियम में संशोधन कराने के लिए किए गए प्रदर्शन किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकते।

43. किसी प्रश्न का असन्तोषजनक उत्तर या सरकार द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करना किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता।

44. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 144 के अधीन प्रख्यापित आदेश किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकते।